



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022023-243333
CG-DL-E-02022023-243333

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 1, 2023/माघ 12, 1944

No. 35]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 1, 2023/MAGHA 12, 1944

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2023

फा. सं. 4-1/2018-पालिसी-1.—दिनांक 18 जुलाई, 2013 के अधिसूचना संख्या 4-4/2009-नीति-1 द्वारा जारी ब्रॉडबैंड की परिभाषा का अधिक्रमण करते हुए और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी.आर.ए.आई) की सिफारिश पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार एतद्वारा ब्रॉडबैंड की परिभाषा को निम्नानुसार संशोधित करती है:-

“ब्रॉडबैंड एक डाटा कनेक्शन है जोकि इंटरनेट एक्सेस सहित अंतरसक्रिय सेवाओं को प्रदान करने में सक्षम है और जिसमें ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने के आशय से सेवा प्रदाता के मौजूदगी स्थान (पॉइंट ऑफ़ प्रेजेंस, पीओपी) से किसी व्यक्तिगत उपभोक्ता को 2 एमबीपीएस की न्यूनतम डाउनलोड गति प्रदान करने की क्षमता है।”

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

आनंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS**(Department of Telecommunications)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th January, 2023

F. No. 4-1/2018-Policy-1.—In supersession of the definition of Broadband issued vide Notification No. 4-4/2009-Policy-I dated 18th July, 2013 and after consideration of the recommendation of the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), the Central Government hereby revise the definition of Broadband as follows: -

“Broadband is a data connection that is able to support interactive services including Internet access and has the capability of the minimum download speed of 2 Mbps to an individual subscriber from the point of presence (POP) of the service provider intending to provide Broadband service.”

The notification shall come in to force with immediate effect.

ANAND SINGH, Jt. Secy.